



दिनांक- 07.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश।

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी 1,63,790/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है आवेदक श्री सागर कुमार पुत्र कर्ण सिंह निवासी कालूवाला पहाडीपुर जहानपुर, बिहारीगढ़, सहारनपुर द्वारा दिनांक 09.12.2025 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार वादी की पत्नी द्वारा वादी के फोन पर संदिग्ध लिंक का प्रयोग किया गया उसके उपरान्त वादी के खाते से रु0 5,22,450/- की धोखाधड़ी हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 58/25 अन्तर्गत धारा 318(4) 319(2) बीएनएस 66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक सागर कुमार पुत्र कर्ण सिंह उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से रु0 1,63,790/- की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक/विवेचक श्री प्रमोद कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 712 निशान्त, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. कां0 710 राकेश कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. कां0 103 शकुन कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW. CYBER CRIME . GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं वान्छित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/ थाना प्रभारी सिमरन सिंह (IPS) के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.04.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 रिकवरी वारण्टी अभियुक्त **अनिल कुमार पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं०- 1176/25 धारा 144(3) बीएनएसएस न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय सहारनपुर नियत तिथि 13.04.26 को अभियुक्त के मकान ग्राम अब्दुल्लापुर थाना चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त अनिल कुमार उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पता-

1. अनिल कुमार पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उश्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर । 0नि0

2. काजिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 2549 0



दिनांक: 07.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि थाना नकुड जनपद सहारनपुर पर दिनांक 30.03.26 को वादी श्री अमन पुत्र अशोक निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा मु0अ0सं0 185/26 धारा 109(1),352 बीएनएस बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी को फोन पर गाली गलौच करना तथा मो0सा0 पर सवार होकर घर के बाहर खड़े हुए जान से मारने की नीयत से फायर करने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नकुड श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.04.2026 को उक्त अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त **भोपाल पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। विवेचना से अभियोग में धारा 191(3) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. भोपाल पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना नकुड सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड सहारनपुर
4. का0 1059 अनुज राणा थाना नकुड सहारनपुर
5. है0का0 1151 राजीव कुमार थाना नकुड सहारनपुर।



दिनांक 07.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.04.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त सलमान उर्फ उल्लू पुत्र अबुल हसन निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 563/20, मु०अ०स० 47/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को मसकन से दिनांक 07/4/26 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का नाम व पता -

1. सलमान उर्फ उल्लू पुत्र अबुल हसन निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ.नि. श्री आनन्द कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 2- है०का० 458 धर्मपाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 3- है०का० 513 सोहनवीर थाना देवबन्द सहारनपुर



दिनांक: 07.04.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 147 ग्राम अवैध चरस बरामद ,

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 7.4.26 को दौरान रात्रि गस्त चैकिंग थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त साऊद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ताहरपुर तिराहे से ताहरपुर की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त साऊद के कब्जे से 147 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 105/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-

1. साऊद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 147 ग्राम अवैध चरस,

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 264/25 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 286/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

2. का0 828 मोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

3. का0 2255 सोनवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 07.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों / शराब तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर खुशनूद पुत्र राशिद निवासी ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को विकासनगर मार्ग पर स्थित आर्युवेदिक कम्पनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त खुशनूद उपरोक्त के कब्जे से 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का माल्टा बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त खुशनूद उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 103/26 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. खुशनूद पुत्र राशिद निवासी ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का माल्टा

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 142/21 धारा 3/8 गोहत्या निवारण अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 150/20 धारा 147/148/149/307/188 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
2. हेका0 1079 अमित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. हेका0 739 ललित तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छूरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध पर रोकथाम हेतु सघन चैकिंग अभियान/ शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.04.2026 को दौराने चैकिंग पर थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 तालिब पुत्र गालिब निवासी ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को मिर्जापुर से पाडली रोड ताहरपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त तालिब उपरोक्त के कब्जे से एक अदद अवैध छूरी बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त तालिब उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 104/26 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. तालिब पुत्र गालिब निवासी ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध छूरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का0 186 विमल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक 07.04.2026

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 260 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान एक **अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ बाटा पुत्र अब्दुल वहीद निवासी हुसैन बस्ती थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मण्डी समिति परिसर में कूड़ा घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ बाटा उपरोक्त के कब्जे से कुल **260 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 146/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ बाटा उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ बाटा उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम उर्फ बाटा पुत्र अब्दुल वहीद निवासी हुसैन बस्ती थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

260 ग्राम अवैध नाजायज चरस

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 106/20 धारा 25/3 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 115/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 203/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 69/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 161/24 धारा 323/354/498ए/504/506 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 व ¾ मुस्लिम महिला (विवाहो पर अधिकारों की सुरक्षा) अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 146/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1233 विपिन राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”



दिनांक 07.04.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 240 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चौकी व गश्त के दौरान एक नफर **अभियुक्त काशिफ समीर पुत्र सोबान उल हक निवासी मोहल्ला मूत्रिबान निकट भारत डेंटल लैब थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सैलर के खंडहर पुराना कलसिया रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त काशिफ समीर उपरोक्त के कब्जे से कुल **240 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 147/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** अभियुक्त काशिफ समीर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त काशिफ समीर उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. काशिफ समीर पुत्र सोबान उल हक निवासी मोहल्ला मूत्रिबान निकट भारत डेंटल लैब थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. 240 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

5. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 521 सुनील राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. है0का0 1233 विपिन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
8. का0 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2026

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मोटर साईकिल पर स्टंट करने वाले युवक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत मोटरसाईकिल की गयी सीज

घटना का संक्षिप्त विवरण:

सोशल मीडिया पर एक विडियो जिसमे एक युवक का मोटरसाईकिल पर गागलहेडी हरिद्वार रोड पर हरियाबांस फ्लाईओवर के पास खतरनाक स्टंट का जानलेवा विडियो सामने आया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का सज्ञान लेकर स्टंट करने वाले युवक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.04.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा स्टंट करने वाले युवक की शिनाख्त कर युवक की मोटरसाईकिल रजि० नं० UP11BL-0628 ड्यूक रंग काला व लाल को सीज कर थाना परिसर मे मोटरसाईकिल खडा कराकर मु०अ०सं० 110/2026 धारा 281 बीएनएस पंजीकृत किया गया है अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

स्टंट करने वाले युवक का नाम व पता:-

1. अरशद पुत्र जरीफ निवासी मक्काबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० रविकान्त गिरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. का० 2010 विक्रान्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. का० 634 मनोज कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 07.04.2026

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा खनन सामग्री से भरे डम्फर को किया सीज

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सहारनपुर द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी बेहट जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे व प्र०नि० सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री से भरे एवं कागजात न दिखा पाने के कारण डम्फर संख्या HR58F1013 को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया । उक्त सम्बन्ध में खनन विभाग एवं आरटीओ विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

सीज करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० संजीव यादव थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. हैड का० 386 टेकचन्द सिरौही थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का० 686 अंकित तोमर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07.04.2026

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा व राजस्व विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बिना वैध प्रपत्रों के मय अवैध खनन सामग्री के 03 डम्पर को किया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार एवं खनन अधिकारी सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.04.2026 को थाना सरसावा व राजस्व विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बिना खनन सम्बन्धी वैध प्रपत्र के खनन परिवहन करते हुए 03 डम्पर को चौकी क्षेत्र शहाजहाँपुर से नियमानुसार सीज किया गया।

विवरण –

- 01 गाडी नम्बर HR 58 D 4792 घोडा 18 टायरा जिसमे 81320 किलोग्राम बजरी भरी हुई है
- 01 गाडी नम्बर HR 58 D 3799 घोडा 18 टायरा जिसमे 81315 किलोग्राम कोरसेन्ट भरा हुआ है
- 01 गाडी नम्बर HR 58 D 8921 घोडा 18 टायरा जिसमे 81820 किलोग्राम बजरी भरी हुई है

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर।
2. श्री जयपाल सिंह संग्रह अमीन तहसील सदर सहारनपुर सहारनपुर।
3. श्री अमित सैनी लेखपाल तहसील नकुड़ सहारनपुर
4. थाना सरसावा पुलिस टीम जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छूरी नाजायज

बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध सशस्त्रों के कारोबार की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **नईम पुत्र सलीम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 छूरी नाजायज बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त नईम उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नईम पुत्र सलीम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 छूरी नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त नईम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 142/21 धारा 3/8 गोहत्या निवारण अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 150/20 धारा 147/148/149/307/188 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चरनपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 930 शहनवाज थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. हेका0 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना,सहारनपुर पुलिस द्वारा कार से खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि थाना चिलकाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो का संज्ञान लिया जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया (x) अकाउण्ट पर स्विफ्ट VXI कार (रजि0 न0- UP 11-DD-9888) की चारो खिडकी खोलकर गाडी का स्टेयरिंग छोडकर गाडी के ऊपर बैठकर बिना ड्राइवर के गाडी को लापरवाही पूर्वक चलाने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, खतरकान तरीके,लापरवाही वाहन चलाने वाले के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/ थाना प्रभारी सिमरन सिंह (I.P.S.) के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.04.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा खतरनाक तरीके से कार चलाने वाले अभियुक्त अकबर पुत्र सलीम निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम बुड्ढाखेडा के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से एक स्विफ्ट VXI कार (रजि0 न0-UP11-DD-9888) (जिस पर बैठकर रील बनाकर अपलोड की गयी) बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 121/26 धारा 281 बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं घटना में प्रयुक्त कार को सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अकबर पुत्र सलीम निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1551 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 07.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछि/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.04.2026 को 01 वारण्टी/अभियुक्त **जानवी गुप्ता पुत्री रामचन्द्र गुप्ता निवासी जाफरनवाज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद सं0 – 5796/25 मु0अ0सं0 – 73/16 धारा 294 भादवि व 3/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर निर्गत माननीय न्यायालय ACJM तृतीय सहारनपुर महोदय का नियत दिनांक 09.04.2026 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जानवी गुप्ता पुत्री रामचन्द्र गुप्ता निवासी जाफरनवाज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 अरुण कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- 2.उ0नि0 श्री नितेश चौधरी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- 3.म0उ0नि0 अंजू सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- 4.है0का0 1258 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- 5.म0का0 2156 शिखा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 07.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन गस्त/चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान 02 वारंटी अभियुक्तगण 1. नदीम पुत्र जहूर निवासी मौ० शहरी दरवाजा थाना बेहट जिला सहारनपुर संबंधित वाद सं० 5827/2022 अ०सं० 359/17 धारा 380/411 भादंवि मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 18 सहारनपुर नियत दिनांक 07.04.2026 व 2.वकील पुत्र शकील निवासी मो० गाडान कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 1962/24 मु०अ०सं० 377/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट मा० न्यायालय स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कोर्ट सं० 12 सहारनपुर नियत दिनांक 07.04.2026 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. नदीम पुत्र जहूर निवासी मौ० शहरी दरवाजा थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. वकील पुत्र शकील निवासी मो० गाडान कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० इलियास अली थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है०कां० 209 ललित शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. हो०गा० 1108 अंकुर कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर